राजस्थान सरकार

कार्यालय अधीक्षक, नारी निकेतन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जोधपुर

(9 मील, मण्डोर पुलिस थाने के पीछे, मण्डोर, जोधपुर। दूरभाष– 0291–2577171, ई–मेल– nariniketanjodhpur@gmail.com)

क्रमांक :– 1402 दिनांक :– 07/10/2019

खुली निविदा संख्या –1 वर्ष 2019–2020

निविदा–सूचना

श्रीमान आयुक्त महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक–एफ15( )/सा.सु./म.क./सान्याअवि/ 18–19/12411 दिनांक 22.02.2019 की अनुपालना में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा विभागीय निर्देशानुसार संचालित संस्था नारी निकेतन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जोधपुर हेतु रसोईया, स्वीपर, अटेण्डेण्ट, आया, सुरक्षा गार्ड, काउन्सलर/मनोवैज्ञानिक का कार्य जॉब बेसिस पर एवं ए.एन.एम., डॉक्टर, शिक्षक/ एज्युकेटर का कार्य विजिटिंग बैसिस की आवश्यकतानुसार सेवाएं हेतु मानव संसाधन उपलब्ध करवाने वाली नियमानुसार पजिकृत योग्य संस्थाओं/व्यक्तियों से (प्लेसमेंट ऐजेन्सी) के माध्यम से टेण्डर प्रक्रिया अपनाकर कार्य करवाये जाने हेतु 29.02.2020 तक या नियमित कर्मचारी उपलब्ध होने तक के लिए मोहरबंद खुली निविदा आमंत्रित की जाती है । धरोहर राशि कार्य की अनुमानित लागत का 02 प्रतिशत व निविदा शुल्क बैंक ड्राफट/बैंकर चैक जो अधीक्षक नारी निकेतन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जोधपुर के नाम से जमा करवाना आवश्यक है।ये निविदा निर्धारित तिथि को उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी।

क्र. सं.	जॉब बेस/ विजिट बेस पर कार्य का नाम व संख्या	अनुमानित व्यय राशि (रुपये में)	धरोहर राशि (रुपये में) 02 प्रतिशत	निविदा शुल्क (रुपये में)	कार्य की अवधि	निविदा प्रपत्र बेचने की प्रारंभ तिथि	निविदा प्रपत्र कार्यालय में प्राप्त करने की अंतिम तिथि	निविदा खोलने की तिथि
01.	**नारी निकेतन जोधपुर में जॉब बेस पर सुरक्षा गार्ड 04, स्वीपर 02, रसोईयां 02, अटेण्डेंट 02, आया 02, डॉक्टर (महिला) 01, नर्स 01, शिक्षक/ एज्युकेटर 01 की आपूर्ति का कार्य**	679500	13590	500	05 माह	09.10.2019 प्रातः 10.00 बजे से	21.10.2019 सायं 6.00 बजे तक	22.10.2019 प्रातः 10.00 बजे से

1. निविदा प्रपत्र विक्रय की तिथि 09.10.2019 प्रातः 10.00 बजे से 21.10.2019 सायं 6.00 बजे तक होगी। निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 21.10.2019 सायं 6.00 बजे तक होगी। प्राप्त निविदाएं 22.10.2019 को प्रातः 10.00 बजे से उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष कार्यालय में निविदा कमेठी के समक्ष खोली जावेगी ।
2. बोलीदाता को निम्नाकिंत पंजीकरण प्रमाण पत्र निविदा के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हैं।
   (01) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र।
   (02)कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र।
   (03) वस्तु एवं सेवा कर के अंर्तगत पंजीकरण प्रमाण पत्र।
   (04) आय कर पेन नम्बर।
   (05) राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत या इंडियन कम्पनी एक्ट 1956 के अंर्तगत पंजीकरण प्रमाण पत्र।
   (06) सुरक्षाकर्मियों हेतु राज्य अकादमी में पंजीकृत होना आवश्यक है।
   (07) राजकीय संस्थाओं में कार्य करने का (15 कार्मिको का) 3 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है तथा सक्षम अधिकारी से जारी अनुभव प्रमाण पत्र जारी करना होगा।

अधीक्षक
नारी निकेतन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जोधपुर

3. निविदा की अन्य शर्ते एवं कार्य आदि का विवरण किसी भी कार्यदिवस के दौरान अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में उपस्थित होकर देखा जा सकता है। उक्त विवरण राज्य सरकार की वेबसाईट http//:sppp.raj.nic.in एवं विभागीय वेबसाईट www.sje.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है एवं डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा शुल्क डीडी/बैंकर चैक अधीक्षक, नारी निकेतन, सान्याअवि, जोधपुर के पक्ष में देय निविदा प्रपत्र के साथ दिया जावे एवं धरोहर राशि का डीडी/बैंकर चैक पृथक से निविदा के साथ संलग्न करना होगा ।
4. अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सभी निविदा को बिना कोई कारण बताये रद्द करने का अधिकार होगा ।
5. नर्स, डॉक्टर, मनोवैज्ञानिक/काउन्सलर, शिक्षक/एज्युकेटर हेतु निर्धारित योग्यता आवश्यक है।
6. वित्त (G&T) विभाग के परिपत्र कमांक एफ2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017, जयपुर दिनांक 30.04.2018 संख्या 1/2018 की पूर्ण पालना की जायेगी।
7. यदि भविष्य में किसी प्रकार की अन्य शर्त जोडने की आवश्यकता महसूस की जाती है तो दोनों पक्षों की आपसी सहमति से अनुबंध मे समावेश किया जा सकेगा।
8. निविदा दो लिफाफों में प्रस्तुत की जानी है 01 तकनीकी निविदा के लिफाफे में तकनीकी निविदा दस्तावेज के साथ धरोहर राशि, निविदा राशि का डीडी/बैंकर चैक तथा बिंदु संख्या 02 में अंकित प्रमाण पत्र व निविदा शर्तो पर हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना आवश्यक है। तथा वित्तीय निविदा के लिफाफे में दर प्रस्तुत करने हेतु जी शिडयूल में सेवा प्रदाता का कमीशन, रूपये में भरकर प्रस्तुत करना होगा।
9. निविदा निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार की जायेगी।
10. प्रदत दरें निविदा खोलने की दिनांक 70 दिन तक स्वीकृति हेतु मान्य रहेगी। यदि निविदाकर्ता द्वारा उक्त अवधि में अपनी निविदा अथवा शर्तो में किसी प्रकार का संसोधन करता है या अपनी निविदा पुनः लेता है तो धरोहर राशि जप्त कर ली जायेगी।
11. वित्तीय निविदा हेतु निविदा के साथ संलग्न जी अनुसूची में अपनी सुस्पष्ट अंकित कर प्रस्तुत की जानी है। कांट छांट होने पर लघु हस्ताक्षर किये जाने आवश्यक है।
12. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं कि जायेगी।

(रेखा शेखावत)
अधीक्षक
नारी निकेतन,सान्याअवि, जोधपुर

कमांक 1403-05
दिनांक 07/10/2019

प्रतिलिपिः–
1. श्रीमान निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. श्रीमान उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जोधपुर।
3. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(रेखा शेखावत)
अधीक्षक
नारी निकेतन,सान्याअवि, जोधपुर